

UOMS- 2028/719
SDO

ग्रामीण सेवा रिपॉर्ट 2025

म्यांसालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ
(पौतासीन अधिकारी कैम्प मांडासी)

-आदेश-

घाषी के रिकार्ड दुलुस्ती प्राथम पत्र एवं पटवारी मांडासी व मूअनि मुह-५१६
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/भायब तहसीलदार नवलगढ/मुकुन्दगढ की अनुशंघा, के आधार पर राजस्थान
मू-राजस्व अधिनियम 1950 की घारा 136 के अनुसारण मे घाम धोडीवारा कला तहसील नवलगढ जिला
सुन्सुनू की जमाबंदी संवत् 2075-78 मे छाता सं० 190, 191, 192 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार
शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिवे जाते हैं-

| क्र. सं. | घाम | छाता सं० | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) प्रविष्टि | शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड मे दुलुस्ती की जानी है |
|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|--|
| 1 | <u>धोडीवारा कला</u> | 190 | <u>जिनकु देवी पाले मोहनलाल</u> | <u>जानकी देवी पाले मोहनलाल</u> |
| | | 191 | <u>जिनकु पाले मोहनलाल</u> | <u>जानकी देवी पाले मोहनलाल</u> |
| | | 192 | <u>जिनकु देवी पाले मोहनलाल</u> | <u>जानकी देवी पाले मोहनलाल</u> |

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

दिनांक

क्रमांक रा.लो.अ./2017/

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार नवलगढ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ